

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE
CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898

In the court of पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी गोहद भिण्ड

प्रकरण क्रमांक /2017

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

Name and address of the complainant मोप्रो शासन द्वारा पुलिस थाना जिला

प्रशासन भिण्ड मोप्रो

name, parentage, caste and address of accused

1. बंटी शर्मा निवासी गोहद भिण्ड
2. नंदकिशोर शर्मा निवासी गोहद
3. वीरेश्वर वैजनाथ शर्मा
4. दशरथ शर्मा धीर सिंह शर्मा

The offence complained of, and date of its alleged commission

आपने दिनांक 24/10/17 को 130 बजे से 145 बजे के मध्य स्थान
काम करवाए में ताश के पत्तों से रुपयों पैसों की हारजीत का
दांव लगाकर जुआ खेला।

तुम्हारा उपरोक्त कृत्य धारा 13 सार्वजनिक द्यूत क्रीडा अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध
किया। स्पष्ट करो अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हो।

The plea of the accused and his examination [if any]--

आरोपी का अभिवाक:- काम करवाए स्वीकार है

जरी

नंदकिशोर

वीरेश्वर दशरथ शर्मा

पंकज शर्मा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e),
clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of
the property in respect of which the offence has been committed

// निर्णय //

(आज दिनांक 27.10.17 को घोषित किया गया)

1. अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक धूत कीड़ा अधिनियम के तहत अपराध विवरण समरी शीट पर तैयार कर पढ़कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त/अभियुक्तगण ने स्वेच्छापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया।
2. अभियुक्त/अभियुक्तगण द्वारा की गयी स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति, बिना किसी डर, दवाब व भय के की गई है। अतएव उसके द्वारा की गयी स्वेच्छा स्वीकारोक्ति के आधार उसे/उन्हें उक्त धारा 13 सार्वजनिक धूत कीड़ा अधिनियम के अपराध का दोषी ठहराया जाता है एवं अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक धूत कीड़ा अधिनियम के अंतर्गत रुपये 100-100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।
3. अर्थदंड अदा नहीं करने पर प्रत्येक को 5 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।
4. प्रकरण में जप्तशुदा रुपये 40000 रुपये राजसात किये जाते हैं अपील अवधि पर्याप्त विधिवत कोषालय में जमा हो।

स्थान-भिण्ड

दिनांक- 27.10.17

निर्णय आज दिनांकित एवं

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

27/10/17

पंकज शर्मा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

27/10/17

पंकज शर्मा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

